"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 18, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश पेरकर पिता श्री लक्ष्मण राव पेरकर, उम्र 41 वर्ष, निवासी - आवास क्रमांक 3/जी, सड़क नं. 82, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. वर्तमान में मैं भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में यांत्रिक अनुरक्षण विभाग में तकनीशियन के पद पर कार्यरत हूं.

यह कि मेरा विवाह दिनांक 24-8-1996 को कुमारी ग्लोरी एलिजाबेथ आत्मजा श्री आर. पी. डी. राजू, निवासी डब्ल्यू. आर. एस. कालोनी, वार्ड क्र. 6 रायपुर के साथ हिन्दु रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपनी पत्नी का नाम परिवर्तित कर गीता पेरकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नी को गीता पेरकर पति रमेश पेरकर के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
ग्लोरी एलिजाबेथ पति-श्री रमेश पेरकर निवासी-मकान नं. 3-जी सड़क नं. 82, सेक्टर -6, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	गीता पेरकर पति-श्री रमेश पेरकर निवासी-मकान नं. 3-जी सड़क नं. 82, सेक्टर -6, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सायमा फातिमा पत्नी मोहम्मद उमैर सिद्दीकी, निवासी - नूरानी चौक, राजातालाब, रायपुर, जिला-रायपुर (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं नीतिका साहू पुत्री श्री ब्रजकिशोर साहू के नाम से जानी-पहचानी एवं पढ़ी-लिखी जाती थी. यह कि मेरा विवाह दिनांक 14-3-2009 को मोहम्मद उमैर सिद्दीकी के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती सायमा फातिमा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सायमा फातिमा पति मोहम्मद उमैर सिद्दीकी के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
नीतिका साहू पिता-श्री ब्रजकिशोर साहू निवासी-रमण मंदिर फाफाडीह, रायपुर तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.)	सायमा फातिमा पति-मोहम्मद उमैर सिद्दीकी निवासी-म. नं. 26/381 नूरानी चौक राजातालाब, रायपुर तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद अलताफ खान आत्मज श्री जे. के. मेश्राम, निवासी - C/o एस.मेश्राम, गांधीग्राम, नकटा रोड मंदिर हसौद, रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैं वर्तमान में विद्यार्थी हूं. मैं पूर्व में जिप्रेश मेश्राम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर मोहम्मद अलताफ खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोहम्मद अलताफ खान पिता श्री जे. के. मेश्राम के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
जिप्रेश मेश्राम पिता-श्री जे. के. मेश्राम निवासी-C/o एस. मेश्राम, गांधीग्राम नकटा रोड, मंदिर हसौद जिला-रायपुर (छ. ग.)	मोहम्मद अलताफ खान पिता-श्री जे. के. मेश्राम निवासी-C/o एस. मेश्राम, गांधीग्राम नकटा रोड, मंदिर हसौद जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेन्द्र लाल पिता श्री जगेशर राम, उम्र 44 वर्ष, निवासी - क्वा. नं. 41/डी, सड़क एवेन्यू ए, सेक्टर 7, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में योजना सहायक के पद पर आर. ई. डी. विभाग में कार्यरत हूं. मेरे 11वीं बोर्ड की अंकसूची में मेरा नाम नरेन्द्र लाल पिता जगेशर राम दर्ज है जबकि 10 + 2 की 12वीं बोर्ड की अंकसूची में मेरा नाम नरेन्द्र लाल चंचल दर्ज है. मैं अपने उपनाम चंचल को जोड़ने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे नरेन्द्र लाल चंचल पिता श्री जगेशर राम के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
नरेन्द्र लाल पिता-श्री जगेशर राम निवासी- क्वा. नं. 41/डी सड़क एवेन्यू ए, सेक्टर 7, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	नरेन्द्र लाल चंचल पिता-श्री जगेशर राम निवासी- क्वा. नं. 41/डी सड़क एवेन्यू ए, सेक्टर 7, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गणपत प्रसाद सोनी पिता श्री रेवा प्रसाद, उम्र 54 वर्ष स्थायी निवासी - ग्राम व पोस्ट-सिंगौद, तहसील व जिला जबलपुर (म. प्र.) हाल मुकाम केन्द्रीय आवासीय परिसर, क्वा. नं. 3, टाइप-2, टिकरापारा, रायपुर (छ. ग.) का हूं. पूर्व में मैं गनपत प्रसाद सुनार पिता श्री रेवा प्रसाद के नाम से जाना पहचाना जाता था तथा समस्त शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों मे यही नाम उल्लेखित एवं अंकित है. मेरी जाति सुनार एवं उपजाति सोनी है. यह कि मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नाम गनपत प्रसाद सोनी अपनी उपनाम सुनार को परिवर्तित कर सोनी रख लिया हूं तथा समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, बैंक, बीमा, निगम, निकाय, बोर्ड, मंडल आयोग, शिक्षा विभाग में दर्ज करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे गणपत प्रसाद सोनी पिता श्री रेवा प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम

गणपत प्रसाद सुनार
पिता-श्री रेवा प्रसाद
स्थायी निवासी- ग्राम सिंगौद
तह. व जिला-जबलपुर (म. प्र.)
हाल मुकाम-केन्द्रीय
आवासीय परिसर क्वा. नं. 3,
टाइप-2, टिकरापारा, रायपुर
रायपुर (छ. ग.).

नया नाम

गणपत प्रसाद सोनी
पिता-श्री रेवा प्रसाद
स्थायी निवासी- ग्राम-सिंगौद
तह. व जिला-जबलपुर (म. प्र.)
हाल मुकाम-केन्द्रीय आवासीय परिसर
क्वा. नं. 3, टाइप-2, टिकरापारा, रायपुर
रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पंचानन्द सिंह आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, उम्र करीब 41 वर्ष, निवासी - बाजार चौक, पुराना बिजली आफिस के पास, उतई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के लोको डिपो अनुभाग टी. एण्ड डी. में प्लान्ट अटेन्डेन्ट के पद पर कार्यरत हूं. मेरा पर्सनल नं. 990652 है. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पंचानन लिखा गया है तथा पिता व उपनाम लिखना भी छूट गया है. मैं अपने नाम व उपनाम को सुधारकर पंचानन्द सिंह राजपूत पिता श्री सुरेन्द्र सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पंचानन्द सिंह राजपूत पिता श्री सुरेन्द्र सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पंचानन
पिता-श्री सुरेन्द्र सिंह
निवासी- बाजार चौक, पुराना बिजली
आफिस के पास, उतई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पंचानन्द सिंह राजपूत
पिता-श्री सुरेन्द्र सिंह
निवासी- बाजार चौक, पुराना बिजली
आफिस के पास, उतई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

प्ररूप क्रमांक-4
[देखिये नियम-5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 2199/प्र. 2/अ. वि. अ./2011.—यत: कि श्रीमती पुष्पा दवे, निवासी एस. एम.-6, पद्मनाभपुर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा श्रीमती पुष्पा सत्यवान दवे चेरिटेबल ट्रस्ट, दुर्ग के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30-11-2011 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्रीमती पुष्पा सत्यवान दवे चेरिटेबल ट्रस्ट, दुर्ग, एस. एम.-6, पद्मनाभपुर, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग.
2.	चल संपत्ति	:	5,000-00 रुपये नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छत्तीसगढ़)

मनेन्द्रगढ़, दिनांक 11 नवम्बर 2011

प्रकरण क्रमांक 01/अ-133(1)/2011-12

क्रमांक 1622/वाचक-1/2011.— चूंकि इस न्यायालय के समक्ष श्री ए. के. दुबे हेतु आंचलिक सत्संग सेवा समिति, खोगापानी, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया छ. ग. ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 को विचार हेतु रखा गया है.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं निखिल गजराज, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में 12 दिसम्बर 11 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	आंचलिक सत्संग सेवा समिति नगर-खोगापानी तहसील -मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	6,50,000=00/- रुपये (छ: लाख रुपये पचास हजार) जिसे एक्सिस बैंक मनेन्द्रगढ़ में जमा किया जावेगा.
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

निखिल गजराज,
अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.